ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

बैगा जनजाति में कुपोषण की समस्या का अध्ययन : मध्यप्रदेश सरकार की आहार अनुदान योजना के संदर्भ में

अजीत कुमार राय[1], डॉ नीलू गुप्ता[2]

1 शोधार्थी, ओरिएण्टल यूनिवर्सिटी, इंदौर Email:amiajeet@gmail.com

2 शोध निदेशक, सह प्राध्यापक , ओरिएण्टल यूनिवर्सिटी, इंदौर Email:dr.neelu@orientaluniversity.in

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा पर आधारित है। शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर एवं शहडोल संभागो के 6 जिलों में निवासरत बैगा जनजाति की महिलाओं और बच्चों की कुपोषण की समस्या के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग की आहार अनुदान योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। शोध कार्य हेतु द्वितीयक समंको का आरेख एवं सारणियों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। इस योजना के अध्ययन में बैगा जनजाति के हितग्राहियो की कुपोषण की समस्या के निराकरण में सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि की सकारात्मक भूमिका पाई गई है।

मुख्य शब्द - बैगा जनजाति, कुपोषण, आहार अनुदान योजना, मध्य प्रदेश , डिण्डोरी ।

प्रस्तावना

विश्व की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है - हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। 5 ट्रिलियन इकोनामी की ओर बढते हमारे देश में आजादी के 07 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कुपोषण एक बडी समस्या है । अन्य पिछडे वर्गो के मुकाबले अनुसूचित जनजातियो में कुपोषण की समस्या बहुत अधिक है । संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 05 साल से कम उम्र के बच्चो की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है । दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी हालत में है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार - " कुपोषण वह है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन को अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने कारण शरीर को पूरा पोषण नही मिल पाता है ।" कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वो की सही मात्रा नही होती है । हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज आदि पोषक तत्व नही मिलते है, तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 भारत सरकार को सभी नागरिको को पर्याप्त भोजन के साथ जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के लिए बाध्य करता है । अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि - राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगो के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करें

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण की पहचान के निम्न चार मुख्य लक्षण है -

नाटापन (Stunting)- यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात में कम रह जाता है, तो उसे नाटापन कहते हैं।

निर्बलता (Wasting) - यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात में कम होता है, तो उसे निर्बलता कहा जाता है।

कम वजन (Under weight) यदि आयु के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों को अंडरवेट कहा जाता है।

कमी (deficiency) - शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी हो जाना।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 (Global Hunger Index 2022) की रिर्पोट में बताया गया कि भारत में भुखमरी की स्थिति काफी गंभीर है कुल 121 देशो में भारत 107वे पायदान पर रहा यह दक्षिण एशियाई देशो में सबसे निचला स्थान है हमारा देश इस रिर्पोट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका से भी पीछे है । कुपोषण के कारण बच्चों एवं महिलाओ में निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं -

- शारीरिक विकास में अवरोध।
- दिमागी कमजोरी।
- संक्रामक बीमारियां।
- रतौंधी, स्कर्वी , रिकेट्स इत्यादि ।
- रूखी त्वचा ।
- शरीर में पीलापन ।
- मसूड़ो से खून बहना।
- रक्त की कमी।
- आयोडीन की कमी ।
- लगातार कमजोरी और थकान का बना रहना।
- श्वसन सम्बन्धी कठिनाईयाँ ।

सार्वभौमिक कारण जो कुपोषण के लिए उत्तरदायी हैं :-

- गरीबी
- बेरोजगारी
- अशिक्षा

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

- लैंगिक असमानता
- आर्थिक ध्रुवीकरण
- अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं
- योजनाओं के क्रियान्वन में असफलता
- भ्रष्टाचार
- खाद्य असुरक्षा
- खाद्य बर्बादी

28 सितम्बर 2017 को झारखंड राज्य के सिमडेगा ज़िले के कारीमाटी गांव की 11 वर्षीया संतोष कुमारी 'माई भात दे-थोड़ा भात दे', कहते-कहते अपनी मां कोयली देवी की बांहों में दम तोड़ दिया था। कुपोषण और भुखमरी के कारण हुई इस आदिवासी बच्ची की असमय मौत ने देशभर का ध्यान खींचा था। राशन कार्ड ,आधार से लिंक ना होने के कारण उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था और इस परिवार को राशन नहीं मिल रहा था। यह पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था।

मध्य प्रदेश के बड़वानी (Badwani) जिले के सेंधवा ब्लॉक के आठ साल के मासूम अर्जुन की मौत 30 सितम्बर 2019 को हो गई थी । सेंधवा के अस्पताल में अर्जुन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी । मामले में परिजनों का कहना था कि कुछ दिनों से भूखा (Hungry) होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत खराब हुई .सेंधवा के रहने वाले अर्जुन के पिता रतन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब बताई गयी . रतन और उसके परिवार का गुजारा प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी से ही चलता था .रतन और उसके परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की बात भी सामने आई थी .रतन का राशन कार्ड नहीं होने से उसे उचित मूल्य की दुकान से राशन भी नहीं मिल पाता था ।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 11 अगस्त 2022 को एक आदिवासी कुपोषित बच्ची की मौत हो गई. इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया. मामला जिला अस्पताल के एनआरसी केंद्र का है. बच्ची को पोषण देने के लिए 4 दिन पहले यहां भर्ती किया गया था, लेकिन सुधार होने के बजाए उसकी तबीयत और बिगड़ गई. डेढ़ साल की मासूम बच्ची देवकी आदिवासी का औसतन वजन 10 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए था. लेकिन, कुपोषण से ग्रसित होने की वजह से उसके शरीर का वजन महज पौने चार किलो ही थी. उसे उपचार और पोषण के लिए 8 अगस्त को जिला अस्पताल के एनआरसी केंद्र में भर्ती कराया गया था. लेकिन, कुपोषण की वजह से बच्ची की हालत ज्यादा नाजुक हो गई और 11 अगस्त 2022 अलसुबह उसकी मौत हो गई।

उपरोक्त तीनों घटनाएं आदिवासियों में व्याप्त कुपोषण की समस्या की भयावहता को दर्शाती हैं।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

भारत के ' हृदय प्रदेश ' मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में प्रथम स्थान है। मध्यप्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं , जिनमें तीन जनजातियां -विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राइब्स) के अंतर्गत आती हैं। ये विशेष पिछड़ी जनजातियां (प्रिमिटिव ट्राइब्स) हैं -बैगा, सहरिया और भारिया। राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि - मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ का हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।

बैगा जनजाति : बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 22 विकास खंडों में अधिक संख्या में निवासरत है । शहडोल संभाग के 3 जिले शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर एवं जबलपुर संभाग के 3 जिले डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में इनका निवास प्रमुख रूप से पाया जाता है। बैगा, जनजातीय समाज की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को "प्रकृति पुत्र " मानते हैं। डिंडोरी जिले के तीन विकासखंडो समनापुर ,बजाग और करंजिया के अंतर्गत 52 गांव को "बैगाचक "कहा जाता है। बैगा जनजाति की जीविका मूलतः प्रकृति पर निर्भर है। बैगा जनजाति की आजीविका के प्रपुख साधन -कृषि ,वनोपज ,मजदूरी ,मुर्गीपालन और पशुपालन है।

सहरिया जनजाति : सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से ग्वालियर और चम्बल अंचल में निवास करती है। सहरिया मध्य प्रदेश के 8 जिलों अशोकनगर, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर,शिवपुरी और भिण्ड में अधिक संख्या में निवासरत है ।सहरिया लोग खुद को भील आदिवासियों के सहोदर भाई मानते है।
सहरिया अपने अलग कतार बद्ध मकानों के समूह में रहते हैं ,जिसे सहाराना कहते हैं। सहरिया जनजाति के लोग हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।
सहरिया जनजाति की आजीविका के प्रमुख साधन -कृषि ,वनोपज संग्रह एवं विक्रय , मजदूरी और पशुपालन है।

भारिया जनजाति : भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य है। भारिया की प्रमुख उपजाति - समूह भूमिया , भुईहर एवं पंडो जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारिया जनजाति मध्यप्रदेश के कटनी ,पन्ना ,छिन्दवाड़ा ,जबलपुर,नरसिंहपुर और सिवनी में अधिक संख्या में निवासरत है, किन्तु शासन के मानदण्डों के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड में निवास करने वाले भारिया जनजाति के परिवारों को ही विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राइब

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

) का दर्जा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में निवास करने वाले भारिया जनजाति के लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तामिया विकासखण्ड के पातालकोट के भारिया जनजाति के लोग इस आधुनिक युग में भी कोदो, कुटकी, महुआ की खीर और बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं। आदिवासियों के परंपरागत भोजन आज भी यहां प्रचलित हैं। पातालकोट के जंगलों में कई दुर्लभ जड़ी-बूटियों का खजाना है। इनमें से कई बूटियां तो सिर्फ हिमालय में मिलती हैं। अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व में पहचान बना चुके पातालकोट समुद्र तल से 2750 से 3250 फीट की औसत ऊंचाई पर बसा पातालकोट 79 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत इन जनजाति परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

उद्देश्य

आहार अनुदान योजना का मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की कुपोषण की समस्या के निदान में योगदान का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना

मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की कुपोषण की समस्या के निदान में आहार अनुदान योजना की भूमिका सकारात्मक है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग की बेवसाईट https://www.tribal.mp.gov.in से प्राप्त द्वितीयक समंको एवं कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडोरी, जिला डिंडोरी से प्राप्त द्वितीयक समंको का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 22 विकास खंडों में निवास करती हैं । शहडोल संभाग के 3 जिले शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर एवं जबलपुर संभाग के 3 जिले डिंडोरी, मंडला और बालाघाट । इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले को शामिल किया गया है। डिंडौरी मध्यप्रदेश का एक ज़िला है । डिंडौरी नगर में ज़िले का मुख्यालय स्थित है । डिंडौरी जिले का गठन मंडला जिले से विभाजित होने के बाद 1998 में किया गया था । डिंडोरी का मूल नाम 1951 तक रामगढ़ था, जो मंडला की एक तहसील थी | बाद में, रामगढ़ का नाम

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

डिण्डोरी के रूप में जाना जाने लगा । ज़िले की स्थापना 25 मई 1998 को 924 गाँवो के साथ की गयी थी । डिंडौरी जिला, जबलपुर संभाग के अंतर्गत है। डिंडौरी जिला कुल 7470 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और छत्तीसगढ राज्य की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर में उमरिया, पश्चिम में मण्डला, पूर्व में शहडोल से घिरा हुआ है और दक्षिण में छत्तीसगढ राज्य है। डिंडौरी ज़िला, अंक्षाश 22.17N और 23.22N देशांतर 80.35E और 80.58E में है । जिले में सात विकासखण्ड है – डिंडौरी, शहपुरा, मेंहदवानी, अमरपुर, बजाग, करंजिया एवं समनापुर ।

2011 की जनगणना के अनुसार, डिंडौरी जिले की कुल आबादी 351,913 पुरुषों और 352,611 महिलाओं के साथ 704,524 है। लिंगानुपात प्रत्येक हजार पुरुषों पर 1002 महिलाओं का है । कुल जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी आबादी लगभग 32,318 है और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की संख्या 672,206 है।

2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 64.69% है। जिले में अनुसूचित जाति की आबादी कुल जिले की आबादी का सिर्फ 5.64% है।

डिंडोरी जिला का मानचित्र

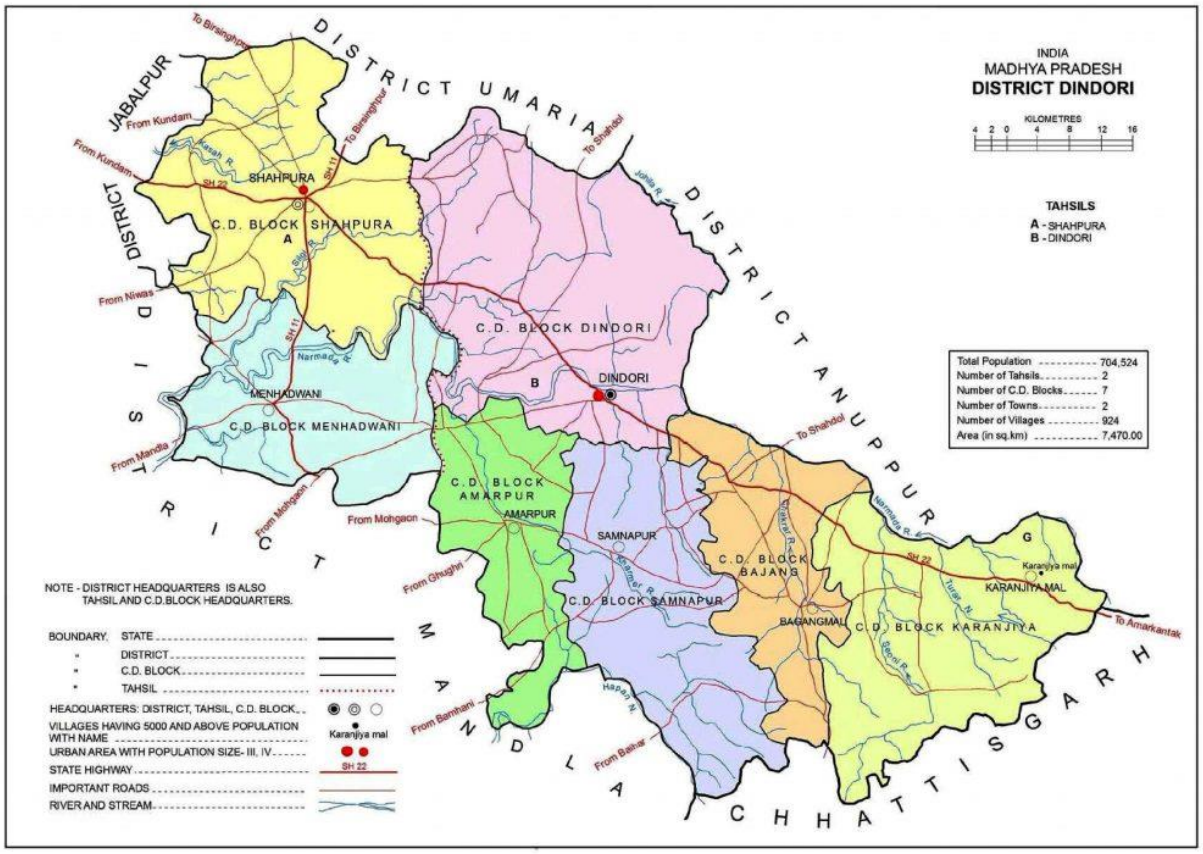

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

(स्त्रोत : डिंडौरी जिले की वेबसाइट www.dindori.nic.in)

तालिका क्रमांक:- 01

बैगा जनजाति का रहवासी क्षेत्र

सरल क्रमांक	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिलों की संख्या	विकासखंडों की संख्या	ग्रामों की संख्या	रहवासी क्षेत्र
1	बैगा	6	22	1143	शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर (शहडोल संभाग) डिंडोरी, मंडला और बालाघाट (जबलपुर संभाग)

(स्त्रोत : जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in)

तालिका क्रमांक:-02

बैगा जनजाति की जनसंख्या

सरल क्रमांक	जिला का नाम	जिला की कुल जनसंख्या	जिला में निवासरत बैगाओं की जनसंख्या
1	अनूपपुर	749,237	30211
2	बालाघाट	1,701,698	25226
3	डिंडोरी	704,524	42109
4	मंडला	1,054,905	43331
5	शहडोल	1,066,063	99299
6	उमरिया	644,758	87177

(स्त्रोत : https://www.censusindia.gov.in/)

आहार अनुदान योजना : एक परिचय

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विशेष पिछडी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब) की महिला हितग्राहियो को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उददेश्य से समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए आहार अनुदान योजना की शुरुआत दिसम्बर 2017 में गई । योजना को शुरू करने का उददेश्य राज्य की विशेष पिछडी जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

तथा उन्हे प्रतिमाह आय का एक नया साधन प्रदान करना है । योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा इन परिवारों की महिला मुखिया को 1000 रूपये की राशि प्रतिमाह उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाती है ।

योजना का नाम - आहार अनुदान योजना

राज्य - मध्य प्रदेश

प्रारंभ करने का माह - दिसम्बर 2017

लाभार्थी- बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की महिला

संबंधित विभाग का नाम- जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अनुदान राशि - 1000 प्रति माह

आहार अनुदान योजना की विशेषताएं:-

1. इस योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उददेश्य लाभार्थी महिला को पोषण युक्त आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके।
2. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक मदद के रूप में 1000-1000 रूपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है ।
3. इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाती है ।
4. इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य की विशेष पिछडी जनजाति की महिलाएं जो राज्य की स्थाई निवासी हे को ही मिलेगा ।

5. इस योजना में मध्यप्रदेश के कुल 15 जिले शामिल है । शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, दतिया,सहरिया जनजाति की महिलाओं , छिंदबाडा जिले की भारिया जनजाति की महिलाओं तथा शहडोल , उमरिया, अनुपपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी बैगा जनजाति की महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा ।
6. इस योजना हेतु विशेष पिछडी जनजाति की महिलाएं ही पात्र होंगी पुरूषो को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।।

7. आहार अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विशेष पिछडी जनजाति की महिलाओं को अपना पंजीकरण एमपी टास पोर्टल पर कराना अनिवार्य है ।

8. पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार है -

<u>मूल निवासी पत्र</u>:- इस योजना में पंजीकरण हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

<u>आधार कार्ड</u>:- लाभार्थी की पहचान के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है ।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

जाति प्रमाण पत्र :- यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया की महिलाओं के लिए है इसलिए इस योजना में पंजीकरण के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ।

बैंक पासबुक:- इस योजना में जो आर्थिक राशि दी जा रही है, वह राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाती है इसलिए बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है ।

पासपोर्ट साईज फोटो - इस योजना के पंजीकरण हेतु पासपोर्ट साईज फोटो की आवश्यकता होती है ।

राशन कार्ड - इस योजना के पंजीकरण हेतु राशन कार्ड की आवश्यकता होती है ।

तालिका क्रमांक :-03

आहार अनुदान योजना के हितग्राहियों की जिलेवार संख्या

सरल क्रमांक	जिले का नाम	आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली आदिम जनजाति	हितग्राहियों की संख्या
1	अनूपपुर	बैगा	6514
2	बालाघाट	बैगा	5950
3	डिंडोरी	बैगा	10995
4	मंडला	बैगा	12668
5	शहडोल	बैगा	25291
6	उमरिया	बैगा	23177
7	छिंदवाड़ा	भारिया	7780
8	अशोकनगर	सहरिया	17746
9	दतिया	सहरिया	2267
10	गुना	सहरिया	18706
11	ग्वालियर	सहरिया	9733
12	मुरैना	सहरिया	2273
13	श्योपुर	सहरिया	42691
14	शिवपुरी	सहरिया	55329
15	भिण्ड	सहरिया	00
		कुल योग	241120

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

(स्त्रोत : जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in)

तालिका क्रमांक:- 04

आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली बैगा हितग्राहियों की जिलेवार संख्या

सरल क्रमांक	जिले का नाम	बैगा हितग्राहियों की संख्या
1	अनूपपुर	6514
2	बालाघाट	5950
3	डिंडोरी	10995
4	मंडला	12668
5	शहडोल	25291
6	उमरिया	23177
कुल योग		84595

तालिका क्रमांक:-05

डिंडोरी जिले के विकासखंड वार जनसंख्या

सरल क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल जनसंख्या
1	डिंडोरी	डिंडोरी	154250
2	डिंडोरी	शहपुरा	134394
3	डिंडोरी	बजाग	85611
4	डिंडोरी	करंजिया	86802
5	डिंडोरी	मेंहदवानी	82651
6	डिंडोरी	अमरपुर	74239
7	डिंडोरी	समनापुर	86577

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

कुल योग	704524

(स्त्रोत : https://www.censusindia.gov.in/)

तालिका क्रमांक:- 06

आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली डिंडोरी जिले के बैगा हितग्राहियों की विकासखंड वार संख्या

सरल क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	बैगा हितग्राहियों की संख्या
1	डिंडोरी	डिंडोरी	2492
2	डिंडोरी	शहपुरा	1216
3	डिंडोरी	बजाग	1898
4	डिंडोरी	करंजिया	1160
5	डिंडोरी	मेंहदवानी	1114
6	डिंडोरी	अमरपुर	712
7	डिंडोरी	समनापुर	2403
		कुल योग	**10995**

(स्त्रोत : कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डिंडोरी, जिला डिंडोरी)

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

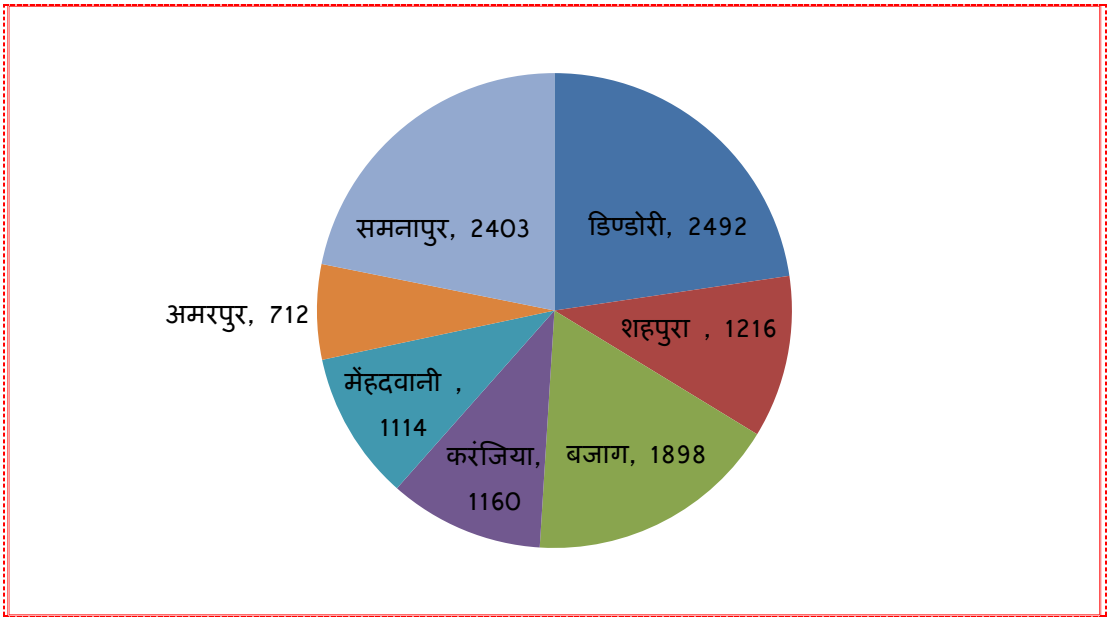

रेखाचित्र क्रमांक -01 - आहार अनुदान योजना के डिंडोरी जिला के बैगा हितग्राहियों की विकासखंड वार संख्या

परीक्षण

प्रस्तुत शोध तालिका क्रमांक 06 से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में निवासरत बैगा परिवारों की 10995 महिला हितग्राहियों को आहार अनुदान योजना का प्रतिमाह लाभ मिल रहा है , इन परिवारों की प्रतिमाह आमदनी में वृद्धि हुई है, जिससे वे फल ,सब्जी ,दूध और अंडा इत्यादि का उपभोग करके कुपोषण की समस्या से मुक्त हो रहें हैं, इस प्रकार उक्त परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है ।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के 7 विकासखण्डों में आदिम जनजाति बैगा निवास करती हैं , जिले में बैगा की जनसंख्या 42109 है, इन 7 विकासखण्डों में 10995 बैगा जनजाति की महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपये ट्रांसफर किये जाते है। बैगा जनजाति के हितग्राहियों हेतु कुपोषण से मुक्ति हेतु यह अनुदान योजना संतोषजनक है ।

सुझाव

1. आहार अनुदान योजना केवल विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हितग्राहियों लिए हैं जो कि सुदूर जंगल में दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं तथा अधिकांश अशिक्षित और अज्ञान हैं, इसलिए हितग्राहियों को सही पोषण आहार की जानकारी दी चाहिए ताकि कुपोषण की समस्या से मुक्ति मिल सके।
2. आहार अनुदान योजना से वंचित सभी पात्र महिलाओं को अभियान चलाकर योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
3. आहार अनुदान योजना कमजोर जनजातीय समूहों के हितग्राहियों लिए है जिनकी मासिक

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 12, Dec 2022

आमदनी अत्यंत न्यून है, अतः दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की जानी चाहिए ।

4. आहार अनुदान योजना का अधिक से अधिक प्रचार -प्रसार करके कुपोषण से निजात पाने हेतु जागरूकता बढ़ानी चाहिए ।

सन्दर्भ सूची

1. जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in

2. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट https://censusindia.gov.in/

3. जिला डिंडोरी ,मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.dindori.nic.in

4. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट- https://who.int

5. यूनिसेफ की वेबसाइट- https://www.unicef.org

6. मठपाल, कविता (2021) " ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन " पीएच. डी. शोध प्रबंध, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

7. Shrivastava, Beena (2021), *"Aahaar Anudan Scheme in Madhya Pradesh: Impact Assessmet "* , Volume –6, Issue –8,November -2021, Anthology : The Research . ISSN-2456-4397.